

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddsctdel@hub.nic.in

Last date for submission of application form is 11.9.2015

POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME FOR SC/OBC STUDENTS STUDYING IN DELHI AND ALSO OUTSIDE DELHI BUT WITHIN INDIA (2015-16)

IMPORTANT NOTE: WHERE TO SUBMIT APPLICATION FORM:

1. Head of Govt./Aided School may forward consolidated statement of eligible students (class XI and XII) to concerned Dy. Director of Education, Delhi.
2. Head of recognized public school may forward consolidated statement of eligible students (class XI & XII) with applications alongwith requisite documents duly recommended to this Department.
3. Kendriya Vidyalaya Schools & Schools under NDMC & Delhi cantonment board may forward consolidated statement of eligible students (Class XI & XII) to this Department.
4. Heads of Engineering College, Medical Colleges, Colleges under Delhi University/ Jamia, University/I.P. University/ JNU/IGNOU may forward consolidated statement of eligible students to Dte. of Higher Education Govt. of NCT of Delhi, 5, Shamnath Marg, Delhi.
5. Heads of polytechnic may forward consolidated statement of eligible students to the Dte. of Technical Education Muni Maya Ram Marg, Pitampura, Delhi.
6. Heads of Colleges/Institutions in respect of students outside Delhi but within India may forward consolidated statement of eligible students alongwith application requisite documents duly recommended.

CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR SC AND OBC STUDENTS

1. Only those SC/OBC students who possess caste certificate issued by Govt. of NCT of Delhi are eligible under this scheme
2. Scholarship is available to all SC students whose parents/guardians income from all sources does not exceed Rs. 2.5 lakh per annum, and all OBC students whose parents / guardians income from all sources dose not exceed Rs. 1 lakh per annum who are pursuing Post Secondary (Colleges/ Institutions/ Universities) level studies in Govt. recognized institutions situated in Delhi & Outside Delhi but within India during the academic year 2015-16)
3. Bank Account should be in the name of the student.
4. Students pursuing studies through correspondence courses are also eligible.
5. Incase of OBC parents, not more than two children will be entitled for receiving the above said scholarship. The restriction, however is not applicable to girl students. There is also no such restriction in respect of SC parents.
6. (i) For family income latest salary slip in the case of parent/guardian in government service and an affidavit from notary regarding other source of family income
(ii) Income declaration by way of an affidavit on non-judicial stamp paper in the case of parent/guardian in private job/service.
7. Application should be submitted in the prescribed format only.
8. All the supporting documents should be attested by the gazetted officer.
9. A certificate from the school/college/Institution to the effect that the students are not getting any other scholarship/stipend, students who have applied for merit scholarship are not eligible under this scheme.
10. Application duly signed by the Head of Institutions with seal of the Institute
11. Date of Admission in the course/ commencement of class and competition of course should be clearly mentioned in the application form.
12. Attested copies of certificates in Diploma, Degree etc. in respect of all previous examinations passed should be enclosed with the application.
13. Attested copy caste certificate issued by competent authority should be attached with application. Domicile certificate of Delhi if the caste certificate is not issued by competent authority of Govt. of N. C. T. of Delhi.
14. Documentary proof of recognition/affiliation from Center / State Government in respect of Non-Government Schools / Colleges/Institutions should be attached with the application.
15. Attested copy of fee structure duly approved by Center / State Govt.
16. School/colleges/university/institute fee receipt (original) in respect of every student be attached with the application.
17. The scholarship will be granted as per Notification/ Circular issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India from time to time.
18. The eligibility of the applicants will be decided as per guidelines/notification/circular issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India from time to time.

APPLICATION SHOULD BE COMPLETE IN ALL RESPECTS

INCOMPLETE APPLICATION WILL BE REJECTED WITHOUT ANY CORRESPONDENCE OR REFERENCE

WHERE TO GET APPLICATION FORM

Format of application form, consolidated statement to be filled by the head of School/ College/ Institution concerned, Electronic clearing service proforma (in r/o students as well as College/ Institution concerned) & detail of value of scholarship (SC/OBC) may be downloaded from the Departments website alternatively this can be collected from the counter of this Department on any working day between 10:00AM to 01:00PM.

Student once applied for the above scholarship may log on to Department website for information with regard to status of their application.

REMARKS: Last Date For receiving of proposal under the Post - Matric Scholarship for SC & OBC students from implementing Departments for the year 2015-16 is 30th September 2015 . proposal received after 30th September 2015 will not be considered.

Principal secretary

(Department for the welfare of SC/ST/OBC/Min.)

DIP/0749/15-16

For further details and application form please log on to the website www.minorityaffairs.gov.in or www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 11.9.2015

दिल्ली में पढ़ने वाले और साथ ही दिल्ली से बाहर किन्तु भारत में पढ़ने वाले अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2015-16)

महत्वपूर्ण नोट : आवेदन पत्र यहां जमा करने हैं :

- सरकारी / सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुख अपने पात्र छात्रों (कक्षा 11 और 12) के समेकित विवरण संबंधित उप निदेशक, शिक्षा, दिल्ली के पास अग्रेषित करें।
- मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख अपने पात्र छात्रों (कक्षा 11 और 12) के समेकित विवरण इस विभाग में विधिवत् संस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन सहित अग्रेषित करें।
- एनडीएमसी तथा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों और स्कूल के प्रमुख अपने पात्र छात्रों (कक्षा 11 और 12) के समेकित विवरण इस विभाग को अग्रेषित करें।
- तकनीकी महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय / जामिया विश्वविद्यालय / आई. पी. विश्वविद्यालय / जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के तहत आने वाले महाविद्यालयों के प्रमुख अपने पात्र छात्रों के समेकित विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली को अग्रेषित करें।
- पॉलीटेक्नीक के प्रमुख अपने पात्र छात्रों के समेकित विवरण तकनीकी शिक्षा निदेशालय, मुनी माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली को अग्रेषित करें।
- दिल्ली से बाहर किन्तु भारत के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के संबंध में महाविद्यालयों / संस्थानों के प्रमुख अपने पात्र छात्रों के समेकित विवरण तथा विधिवत् संस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन इस विभाग को अग्रेषित करें।

अनु. जाति और अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए पात्रता की शर्तें

- केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र रखने वाले अनु. जाति / अ. पि. वर्ग के छात्रों को इस योजना के तहत पात्रता है।
- यह छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष 2014-15 के दौरान दिल्ली से बाहर किन्तु भारत के अंदर स्थित सरकारी / मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट सेकेंडरी (महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालयों) स्तर पर अध्ययनरत उन सभी अनु. जाति के छात्रों के लिए, जिनके माता-पिता / संरक्षकों की आय सभी स्रोतों से मिलाकर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन सभी अनु. जनजाति के छात्रों के लिए, जिनके माता-पिता / संरक्षकों की आय सभी स्रोतों से मिलाकर प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उपलब्ध है।
- छात्र के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए।
- पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को भी इसकी पात्रता है।
- अ. पि. वर्ग के माता-पिता के मामले में दो से अधिक बच्चों को उपरोक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। जबकि यह प्रतिबंध छात्राओं पर लागू नहीं है। अनु. जाति के माता-पिता के संदर्भ में यह प्रतिबंध नहीं है।
- 1) सरकारी सेवारत माता-पिता / संरक्षक की पारिवारिक आय के मामले में नवीनतम वेतन पर्वी और अन्य स्रोतों से पारिवारिक आय के विषय में नोटरी की ओर से दिया गया एक शपथ पत्र।
2) माता-पिता / संरक्षक निजी रोजगार / सेवा में नियुक्त हैं तो गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र द्वारा आय की घोषणा की जाए।
- आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाए।
- सभी समर्थक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए।
- स्कूल / महाविद्यालय / संस्थान की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र कि छात्र को अन्य कोई छात्रवृत्ति / स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। जिन छात्रों ने योग्यता छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है उन्हें इस योजना के तहत पात्रता नहीं है।
- आवेदन पर संस्थान की मुहर सहित संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश / कक्षा आरंभ होने और पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी जाए।
- पिछली सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के संबंध में डिप्लोमा, डिग्री आदि की सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जाएं।
- आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।
- गैर सरकारी विद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों के संबंध में केन्द्र / राज्य सरकार की मान्यता / संबद्धता का दस्तावेजी प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
- केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित शुल्क संरचना की सत्यापित प्रति।
- आवेदन के साथ प्रत्येक छात्र के संबंध में विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान की शुल्क रसीद (मूल) संलग्न की जाए।
- छात्रवृत्ति समय समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना / परिपत्र के अनुसार दी जाएगी।
- आवेदक की पात्रता समय समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों / अधिसूचना / परिपत्र द्वारा तय की जाएगी।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन भेजा जाए।

अधूरे आवेदनों को किसी पत्राचार या संदर्भ के बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करें :

आवेदन पत्र का फॉर्मेट, समेकित विवरण संबंधित स्कूल / कॉलेज / संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जाए। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रपत्र (छात्र और संबंधित स्कूल / कॉलेज / संस्थान के संदर्भ में) और छात्रवृत्ति के मूल्य के विवरण (अनु. जाति / अनु. जन जाति) विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अथवा वैकल्पिक रूप से किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक इस विभाग के काउंटर से प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद छात्र अपने आवेदन की स्थिति के विषय में जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉगऑन कर सकते हैं। टिप्पणी : वर्ष 2015-16 के लिए कार्यान्वयन करने वाले विभाग की ओर से अनु. जाति और अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। 30 सितंबर 2015 के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रधान सचिव

DIP/0749/15-16

(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अ. पि. वर्ग /अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

अन्य विवरणों और आवेदन पत्र के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in या www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग ऑन करें